

संख्या 1393/78-2-2011 26आई.टी. 2008

प्रषट

का.एन. नगर  
प्रमुख सचिव  
उत्तरा शासन

संख्या 2

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तरा शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुनाम-2

संलग्न दिनांक 20 फरवरी, 2011

विषय-कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने व  
संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने की नीति निर्धारित न होने के कारण निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की स्टोर इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है। अतः कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है।

2. विभागों में स्थापित षडेक वर्ष पूर्व कच किये गए ऐसे कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जो कार्य योग्य नहीं रह गए हैं तथा उनका अनुरक्षण संभव नहीं हो पा रहा है, निष्प्रयोज्य घोषित किये जा सकेंगे। कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का वार्षिक हास मूल्य प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत दर को आधार मानते हुए किया जायेगा। उक्त नीति के क्रियान्वयन/अनुपालन हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नलिखित समितियाँ गठित की जाती हैं:-

क- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उत्तरा शासन से संबंधित हैं तो शासन स्तर पर समिति निम्नवत् होगी:-

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1- | संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव                                    | अध्यक्ष |
| 2- | प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य   |
| 3- | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि                      | सदस्य   |
| 4- | सप्लायर/निर्देशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि            | सदस्य   |

कमरा 2

द- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से संबंधित है तो समिति निम्नवत् होगी:-

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1- | विभागाध्यक्ष  | अध्यक्ष |
| 2- | विभाग के वित्त नियंत्रक / वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख | सदस्य   |
| 3- | विभाग में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ                         | सदस्य   |
| 4- | उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि      | सदस्य   |

ग- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / स्वायत्तशासी निकायों आदि से संबंधित है, तो समिति निम्नवत् होगी:-

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1- | संबंधित संगठन के मुख्यकार्यकारी अधिकारी              | अध्यक्ष |
| 2- | संगठन के वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख             | सदस्य   |
| 3- | संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख                     | सदस्य   |
| 4- | उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य   |

घ- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जनपदीय कार्यालयों से संबंधित है, तो समिति निम्नवत् होगी:-

- |    |                                      |         |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1- | संबंधित जिले का जनपदीय अधिकारी       | अध्यक्ष |
| 2- | संबंधित जिले का मुख्य विकास अधिकारी  | सदस्य   |
| 3- | संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी | सदस्य   |
| 4- | जनपदीय कोषाधिकारी / परिषद कोषाधिकारी | सदस्य   |
| 5- | एनआईसी का जनपदीय अधिकारी             | सदस्य   |

5. उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया सभी प्रकार के वित्तीय स्रोतों से कथ किये गए कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों पर लागू होगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग / न्याय विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

जनपदीय

(पी.एन. नंगे)

प्रमुख सचिव

कमरा 111

संख्या (1)/78-2-2011 तददिनांक

उपयुक्त की प्रतिलिपि निर्गमितिका का सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही  
को संघत -

1. महालेखाकार (प्रथम एवं द्वितीय) उ०प्र० इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. उद्योग निदेशक, कानपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
7. स्टाफ अफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
8. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्क/यूपीएलसी, श्रीद्वान इंडिया लि०/  
अपट्रान पावरट्रांसिक्स लि०/ अपट्रान इंडिया लि०, लखनऊ।
9. प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक  
निकायों/परिषदों/स्थायतशासी निकायों के मुख्यकार्यकारी  
अधिकारी।
10. उपमहानिदेशक, एनआईसी, लखनऊ।
11. निदेशक, सऊकीय भूदानालय ऐश्वर्या, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
13. वित्त सौख्या अनुभाग-2 / वित्त (बाय नियंत्रण)  
अनुभाग-6 / निर्माण अनुभाग-4 / गोपन अनुभाग-1
14. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०  
शासन।
15. निजी सचिव, अमुख्य सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग,  
उ०प्र० शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(सुरेश चन्द्र गुप्ता)  
विशेष सचिव